

भाग - IV

हरियाणा सरकार

कार्मिक विभाग

शुद्धि पत्र

दिनांक 23 दिसम्बर, 2008

हरियाणा सरकार राजपत्र (असाधारण) में, भाग-III में, दिनांक 13 फरवरी, 2008 में प्रकाशित, हरियाणा सरकार, कार्मिक विभाग, अधिसूचना संख्या सांकांनि० 6/ संवि०/अनु० 309/ 2008, दिनांक 13 फरवरी, 2008 में, मूल हिन्दी पाठ में, नियम 12 में, उप-नियम (2) में, खण्ड (क) में, "पैंतालीस" शब्द के स्थान पर, "चालीस" शब्द पढ़ा जाए।

धर्मवीर,

मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार।